दिनांक 18.09.2020 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यो के साथ–साथ पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश के अनुपालन की समीक्षा की गयी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा लम्बित कार्यो एवं निदेशालय स्तर पर सम्पादित किये जा रहे विभिन्न कार्यो की निम्नवत समीक्षा की गयी :–

1. स्थापना संबंधी कार्य :–

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वप्रथम संचिकाओं के प्रभार की सूची की सॉफ्टकॉपी के संबंध में पृच्छा करने पर प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि सॉफ्टकॉपी सहायक/कर्मीवार आई0टी0 कोषांग को उपलब्ध करा दिया गया है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि संचिका विषयानुसार यथा स्थापना, बजट आदि का उल्लेख एवं वर्तमान चलायमान संचिकाओं को भी सम्मिलित करते हुए उसकी सॉफ्टकॉपी आई0टी0 कोषांग को उपलब्ध कराया जाय। इस संबंध में संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि उक्त हेतु सभी संबंधित को पीत–पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। जल्द ही उक्त सॉफ्टकॉपी आई0टी0 कोषांग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पृच्छा करने पर कि अन्य जगहों पर तो कोई संचिका बगैर प्रभार के तो नहीं है के बारे में बताया गया कि प्रथम तल का एक कमरा जो विभाग द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है में ही केवल बगैर प्रभार की संचिकाओं के होने की संभावना है, अन्य नहीं।

(ख) (i) अधोहस्ताक्षरी द्वारा गार्ड फाइल के संबंध में दोनों प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रतिवेदन प्रत्येक दशा में अगली बैठक के पूर्व उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) ए0डी0एफ0 स्कैनर के क्रय के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि इस संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

(iii) (a) अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व की बैठकों में दिये गए निदेश जिसमें कम्प्यूटरों से संबंधित विवरणी यथा Make/ Model/Sl. No./Purchase Date आदि को संचिका में संधारित करने के संबंध में पृच्छा करने पर श्री अली द्वारा बताया गया निदेशालय के कुल 34 कम्प्यूटरों में से 22 कम्प्यूटरों के आंकड़ों को संधारित कर लिया गया है लेकिन शेष कम्प्यूटरों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि अगले साप्ताहिक बैठक से पूर्व भंडार पंजी/पुरानी संचिका से उक्त कम्प्यूटर संबंधी जानकारी प्राप्त कर संबंधित आंकड़े को संचिका में संधारित करना सुनिश्चित किया जाय। तत्पश्चात कम्प्यूटरों के वारंटी/गारंटी आदी से संबंधित जानकारी को कम्प्यूटर के Maintenance हेतु संबंधित हॉस्पिटालिटी एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सकेगा। कम्प्यूटरों में आवश्यक Peripherals/नये कम्प्यूटर/खराब कम्प्यूटर आदि से संबंधित प्रस्ताव भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि कार्यालय द्वारा इसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

(b) अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व के निदेश के आलोक में निदेशालय द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यो की प्रकृति को ध्यान में रखकर Office 365 या अन्य Open Source Software के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि Office 365 को उपयोग में लाने हेतु शुल्क की व्यवस्था है। 22,500/– रूपये में सिंगल यूजर लाईफटाईम सपोर्ट मिलेगा एवं रूपये 4500/– में 06 यूजर हेतु वार्षिक रिन्यूअल के आधार पर इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iv) राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया के अद्यतन Financial एवं Physical प्रगति से संबंधित अधोहस्ताक्षरी द्वारा गया का भ्रमण एवं की गयी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही में दिये गए निदेश यथा आवंटन आदि के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश संबंधित सहायक को दिया गया।

(v) (a) कार्मिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर में निदेशालय एवं सभी संलग्न कार्यालयों के कर्मियों (संविदा कर्मियों को छोड़कर) के डेटाबेस की इन्ट्री से संबंधित Completion Certificate उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया जिसमें यह उल्लेख हो की सारे कर्मियों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में हो चुकी है।

(b) CFMS में संधारित कर्मियों के डेटा के प्रिन्ट आउट निकाल कर कार्मिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की गयी कर्मियों के डाटा का मिलान के संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संबंधित ऑपरेटर द्वारा जानकारी दी गयी कि जिलों के कर्मियों का डाटा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त जानकारी लिखित रूप से संबंधित ऑपरेटर से प्राप्त करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय ताकि इस संबंध में अग्रत्तर कार्रवाई की जा सके।

(c) अधोहस्ताक्षरी द्वारा आई0टी0 कोषांग को पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश जिसमें संविदा कर्मियों से संबंधित डाटाबेस इन्ट्री हेतु Age relaxation 67 वर्ष करने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक Modification किया जाना था के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

(d) पूर्व की बैठक में संविदा अमीनों/मोहर्रिरों के नियुक्ति किस पद के सापेक्ष हुई है के संबंध में पुरानी संबंधित संचिका का अवलोकन करते हुए इसे स्पष्ट कराने के निदेश के संबंध में पृच्छा करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त का अनुपालन नहीं किया जा सका है। इस संबंध में संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि उक्त से संबंधित पुरानी संचिका सतह तल पर स्थित उस कमरे में रखी हुई है जहाँ पर नियोजन संबंधी ढ़ेर सारी अन्य संचिकाएँ भी रखी है। इससे संबंधित संचिका को खोजने में काफी असुविधा हो रही है और कार्य लम्बित है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि जिन संविदा कर्मियों का पदस्थापन हो चुका है एवं संचिकाओं की आवश्यकता वर्त्तमान में नहीं है को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बक्से में रखने की कार्रवाई की जाय। अगली बैठक से पूर्व प्रत्येक दशा में इस संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(vi) अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में संचालित बन्दोबस्त कार्यालय, पटना को अन्यत्र जगह Shift करने के संबंध स्मार देने के साथ–साथ प्राथमिकता के आधार पर बलदेव भवन के किराया से संबंधित मामलें को भी शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(vii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में संचालित लाईब्रेरी को सुचारू ढ़ंग से कार्यकारी बनाने हेतु निदेशालय में उपलब्ध पुस्तकों/प्रशिक्षण सामग्रियों एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों की लिस्टिंग करते हुए संधारित किया जाय।

(viii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित कार्य को श्री सतीश कुमार कर्ण, उच्चवर्गीय लिपिक (संविदा) को आवंटित करने का पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इस संबंध में संचिका उपस्थापित कर दिया गया है।

(ix) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे सभी बन्दोबस्त कार्यालयों जिनका सृजन हुआ है और सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी कार्यरत है में वर्ग – 3 एवं 4 के कर्मचारी के पदस्थापन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि साप्ताहिक बैठक में उपलब्ध कराये जाने वाले आंकड़ों की सत्यता की जाँच संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा करते हुए ही उपलब्ध करायी जाय।

(ग) **विभागीय कार्यवाही** – विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों के निष्पादन में प्रगति लायी जाय। पिछली कई बैठकों से निष्पादित मामला शून्य ही दर्शाया जा रहा है।

विभागीय कार्यवाही/आरोप/सेवान्त लाभ आदि के संबंध में निम्न जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	पूर्व में निष्पादित मामला	इस सप्ताह निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
विभागीय कार्यवाही	00	28	28	15	0	13
आरोप	00	48	48	15	0	33
सेवान्त लाभ	06	18	24	0	02	22

(घ) **सूचना के अधिकार से संबंधित** – सूचना के अधिकार से संबंधित मामले को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय–सीमा में निष्पादन करने का निदेश दिया गया। इस से संबंधित निम्न जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

कुल मामला	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	पूर्व में निष्पादित मामला	इस सप्ताह निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
प्रथम अपीलीय स्तर पर	29	03	32	0	0	32
लोक सूचना पदा0 स्तर पर	49	08	57	0	0	57

(ङ) अधोहस्ताक्षरी द्वारा कबाड़ हटाने से संबंधित पूर्व की बैठकों में दिये गए निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इस हेतु यदि किसी बैठक आदि बुलाने की आवश्यकता हो तो 7 दिनों के अन्दर बुलाते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाय। इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में अन्य कोई निदेश न देकर कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

(च) प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व की बैठकों में दिये गए निदेश के बावजूद ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की बैठक की संभावित तिथि निर्धारित करने का अनुपालन संबंधित सहायक के अनुपस्थित रहने के कारण नहीं हो सका है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त का अनुपालन अनुपस्थित सहायक के कार्य को किसी अन्य सहायक को आवंटित करते हुए अविलम्ब कराना सुनिश्चित किया जाय।

2. **लोकायुक्त, लोक लेखा समिति एवं अन्य संबंधी कार्य :–** संबंधित सहायक द्वारा बताया गया कि केवल एक मामला जो लोकायुक्त कार्यालय के परिवाद संख्या 01/लोक (पंचायत)–110/2012 द्वारा बक्सर जिलान्तर्गत सिमरी प्रखण्ड के साम पंचायत डुमरी में सुखाड़ राहत वितरण में धांधली से संबंधित है लम्बित है। संबंधित कर्मी द्वारा लोकायुक्त, लोक लेखा समिति, मानवाधिकार एवं अन्य आदि से संबंधित मामलों की निम्न विवरणी उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	पूर्व में निष्पादित मामला	इस सप्ताह निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
लोकायुक्त से संबंधित	00	01	01	00	00	01
लोक लेखा समिति से संबंधित	00	00	00	00	00	00
मानवाधिकार से संबंधित	00	00	00	00	00	00
अन्य मामला	00	00	00	00	00	00

3. **न्यायालय संबंधी कार्य :–** सी0डब्लू0जे0सी0, एम0जे0सी0, एल0पी0ए0 आदि मामलों में प्राथमिकता देते हुए निष्पादित किया जाय। विभाग से भी बहुत से लम्बित मामले की विवरणी उपलब्ध कराया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा मामले के निष्पादन में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने का निदेश दिया गया। उक्त से संबंधित निम्न जानकारी संबंधित कर्मी द्वारा उपलब्ध करायी गयी :–

विषय	इस सप्ताह प्राप्त मामला	पूर्व में प्राप्त मामला	कुल मामला	इस सप्ताह निष्पादित	पूर्व में निष्पादित मामला	कुल लम्बित मामला
सी0डब्लू0जे0सी0	01	24	25	01	14	10
एम0जे0सी0	00	04	04	0	02	02
एल0पी0ए0	00	02	02	0	0	02
अन्य मामला (राज्य निःशक्तता आयोग एवं अन्य)	01	01	01	0	0	01

सी0डब्लू0जे0सी0 से संबंधित लम्बित मामलों की सूची निम्नवत उपलब्ध करायी गयी:–

	वाद का प्रकार	वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री पंकज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर अंचलाधिकारी समस्तीपुर सदर	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में
2	CWJC	CWJC No. --------/2017	श्री लक्ष्मण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)	पैतृक सम्पति मौजा बंसतपुर थाना न0 11 / समनपुरा थाना न0 12 भूमि विवाद के संबंध में।
3	C.M	W.P No. 35881 /2017	मोहन लाल शर्मा एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, सिवान	उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद के संबंध में
4	CWJC	CWJC No. 2018	रामदास सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	समाहर्त्ता, नवादा	भूमि विवाद
5	CWJC	CWJC No 13754/2019	नवल किशोर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	भू–अभिलेख एवं परिमाप	संविदा नियोजन के विरूद्व
6	CWJC	CWJC No 243495/2019	मो0 जफर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	भू–अभिलेख एवं परिमाप	नियोजन से संबंधित
7	CWJC	CWJC No 10410/2019	अरूण कुमार त्रिगुणायत बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना	पुनः नियुक्ति से संबंधित
8	CWJC	CWJC No ...../2019	सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	नियोजन से संबंधित
9	Civil Review	C.R. No ...../2019	सुधीर कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	नियोजन से संबंधित
10			श्री ऋषिकेश कुमार	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप	श्री ऋषिकेश कुमार EWS श्रेणी में विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्ति के संबंध में।

एम0जे0सी0 एवं एल0पी0ए0 से संबंधित लम्बित मामलों की सूची निम्नवत उपलब्ध करायी गयी:–

क्र0 सं0	वाद का प्रकार	वाद की संख्या / वर्ष	वादी का नाम	विभाग	करणत्व (संबंधित कार्यालय)	विषय
1	2	3	4	5	6	7
1	MJC	MJC No. ..../2019	मेसर्स पंचशील सॉफ्टवेयर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	समाहर्त्ता, पटना	भुगतान के संबंध में।
2	MJC	MJC No. ..../2019	सब्बीर अहमद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	भुगतान के संबंध में।
3	LPA	LPA No. ..../2019	धर्मवीर कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना	नियोजन के संबंध में
4	LPA	LPA No. ..../2019	परमेश्वर लाल बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।	समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी, आरा	सेवा से संबंधित

4. बजट संबंधी कार्य :–

अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित सहायक को निदेश दिया गया कि वे द्वितीय सिलिंग से संबंधित आवंटन हेतु विभाग / वित्त विभाग जा कर सारी जानकारी प्राप्त करे एवं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

5. बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट से संबंधित कार्य :–

(i) अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लेखापाल से रोकड़ पंजी के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि वर्ष 2020–21 का रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसे अविलम्ब अद्यतन करने एवं ऑडिट संबंधित पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

भारत सरकार से प्राप्त डाटा के Mismatch का निराकरण / Reconcile कराने हेतु नई दिल्ली जाने के निदेश के अनुपालन के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि उक्त हेतु पत्र / Request mail भेज दिया दिया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित लेखापाल को कहा गया कि यदि लेखा संधारण करने हेतु किसी सॉफ्टवेयर यथा टैली आदि की आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

(ii) भारत सरकार को Claim भेजने का पूर्व में दिये गए निदेश का अनुपालन तकनीकी कोषांग एवं आई0टी0 कोषांग से सहयोग प्राप्त करते हुए शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

(iii) Monumentation एवं राज्य में सर्वेक्षण कार्य कर रहे एजेंसियों द्वारा समर्पित लम्बित विपत्र के भुगतान हेतु जिन जिलों से प्रपत्र प्राप्त नहीं है उनसे प्राथमिकता के आधार पर मंगाते हुए कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने का निदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया।

(V) बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं अपर मुख्य सचिव के कोषांग के अधियाचना के आधार पर लैपटॉप उपलब्ध कराने के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इस संबंध में संचिका उपस्थापित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव कोषांग द्वारा उपलब्ध कराया गया लैपटॉप (Apple) की मरम्मति हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

6. <u>लेखा संबंधी कार्य :-</u>

(क) अंकेक्षण दल द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण आपत्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया की लम्बित आपत्तियों का Compliance हेतु संचिका उपस्थापित कर दी गयी है।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा मासिक विपत्र यथा – विद्युत, दूरभाष इत्यादि के भुगतान के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि उन सारे विपत्रों का भुगतान ससमय किया जा रहा है।

7. <u>बेल्ट्रॉन/प्लॉटर से संबंधित कार्य :-</u>

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशालय स्तर पर संधारित कम्प्यूटर ऑपरेटरों का डाटा एवं बेल्ट्रॉन के स्तर से संधारित डाटा को Reconcile/अद्यतन करने हेतु पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश का अनुपालन के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि बेल्ट्रॉन जाकर कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सूची प्राप्त की गयी है पर Reconcile/अद्यतन नहीं किया जा सका है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा शीघ्र इस कार्य को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(ख) अधोहस्ताक्षरी द्वारा वैसे अंचलों जहां कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं है में प्रतिनियुक्त करने के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि उक्त से संबंधित पत्र प्रेषित कर दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि कम्प्यूटर ऑपरेटरों के प्रतिनियुक्ति में विलम्ब के कारणों की भी जानकारी बेल्ट्रॉन जाकर प्राप्त करें।

(ग) कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लम्बित मानदेय भुगतान एवं स्थानान्तरण किये गए कम्प्यूटर ऑपरेटरों के अद्यतन अनुपालन स्थिति से अवगत कराने का निदेश संबंधित कर्मी को दिया गया।

(घ) अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि बल्ट्रॉन से संबंधित जितने मामले हैं उसकी सूची एवं अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपस्थापित किया जाय ताकि बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक से मिलकर उन्हें लम्बित मामलों के बारे में अवगत कराया जा सके।

8. <u>आगत-निर्गत शाखा से संबंधित :-</u>

आगत शाखा के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित कर्मी द्वारा बताया गया कि इस सप्ताह कुल 181 पत्र प्राप्त हुआ है जिसे डायरी कर संबंधित को उपलब्ध करा दिया गया है। उनके द्वारा कुल प्राप्त पत्रों की संख्या 4984 बतायी गई। प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व के लम्बित पत्रों का निराकरण कर लिया गया है। इसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि पत्रों के लम्बित रहने के कारणों से संबंधित एवं Pendendancy list समर्पित करें, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि इतने दिनों तक पत्र किस स्तर से लम्बित रहा है।

9. **आई0टी0 सेल से संबंधित** :– अधोहस्ताक्षरी द्वारा आई0टी0 सेल से संबंधित विषयों के आलोक में अलग से बैठक आयोजित कर लम्बित मामले की समीक्षा करने का निदेश सहायक निदेशक को दिया गया।

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशालय में नेटवर्क प्रिन्टर अधिष्ठापित करने से संबंधित पृच्छा करने पर बताया गया कि उक्त के संबंध में कार्रवाई चल रही है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष व कोषांग में अधिष्ठापित प्रिन्टर को नेटवर्क प्रिन्टर के रूप में कार्य कर सकता है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ख) निदेशालय व राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में इन्टरनेट उपलब्धता हेतु छुटे गए LAN/WAN प्वाईंट create करने के संबंध में आवश्यक आकलन करते हुए बेल्ट्रॉन को पत्र देने हेतु निदेशित किया गया।

(ग) फाईल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि उक्त से संबंधित कार्रवाई की जा रही है।

(घ) निदेशालय के वेबसाईट पर महत्वपूर्ण DILRMP सेक्शन का टैब जोड़ने के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि उक्त से संबंधित कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) मासिक समीक्षा बैठक हेतु फार्मेट तैयार किया गया है। निदेश दिया गया कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु तुरन्त इन फार्मेट के आधार पर कार्रवाई की जाए।

10. **संविदा नियोजन से संबंधित** :–

(क) योगदान कर चुके संविदा कर्मियों के त्यागपत्र जो निदेशालय को प्राप्त हो चुके हैं को भी संचिका में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(ख) निदेशालय को प्राप्त संविदा नियोजन से संबंधित सभी आपत्तियों का निष्पादन एक Internal बैठक करते हुए प्राथमिकता के आधार पर करने का निदेश दिया गया।

सभी कर्मियों को सम्बन्धित प्रतिवेदन के साथ ही बैठक में शामिल होने के निदेश के साथ अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 147 / गो0 पटना, दिनांक 28-09-2020

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी / संबंधित कर्मी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय / राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :– 147 / गो0 पटना, दिनांक 28-09-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :– 147 / गो0 पटना, दिनांक 28-09-2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक